कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

वन भवन, ब्लॉक-'ए' पुरूलिया रोड़, चास, बोकारो-827013

Email – cf-bokaro@gov.in, bokarocf@gmail.com, cfbokaro@rediffmail.com मो० – 8987790301

पत्रांक : ...., दिनांक : ....

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
बोकारो।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1373 दिनांक 03.11.2021 एवं पत्रांक 269 दिनांक 22.03.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के प्रासंगिक पत्रों के द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में राजस्व अभिलेख में दर्ज जंगल–झाड़ी भूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमण्डल अंतर्गत 2.84 हे0) 2.84 हे0 में वन संरक्षण अधिनियम का Violation प्रतिवेदित होने के कारण Violation के लिए जो पदाधिकारी दोषी हैं, उनके विरूद्ध क्या–क्या कार्रवाई की गई है, उससे संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल के पत्रांक 732 दिनांक 02.04.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भू–भाग गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज है, जिसका स्वामित्व वन विभाग को नहीं रहने के कारण उनके द्वारा अपने पत्रांक 619 दिनांक 24.03.2022 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

ज्ञापांक 382, **दिनांक** 28.05.2022

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

24-5-22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।
(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः– 732 दिनांकः– 2/4/22.

सेवा में,

F.C.Act

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– **सी0सी0एल0 की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/OTHERS/34881/2018) के संबंध में।**

प्रसंगः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का ज्ञापांक– 253 दिनांक 25.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि (राजस्व अभिलेख में जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि –2.84 हे0) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया हुआ पाया गया है। चुंकि अपयोजन हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत भू–भाग गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज है, जिसका स्वामित्व वन विभाग को नहीं है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक– 619 दिनांक 24.03.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(मुहर: कार्यालयः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल — पत्रांक– 701 दिनांक– 04/04/2022)

आपका विश्वासी,
(हस्ताक्षर) 02/04/22
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़

ज्ञापांकः– 732 दिनांकः– 2/4/22

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(हस्ताक्षर) 02/04/22
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़
2/4/22

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो०–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः– 619 दिनांकः– 24/3/2022

सेवा में,

उपायुक्त,
रामगढ़।

विषय :– **सी०सी०एल० की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु 11.11 हे० (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का ज्ञापांक– 253 दिनांक 25.02.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि सी०सी०एल० की नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु 2.84 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय में समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी में गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी दर्ज भूमि 2.84 हे० जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हे0)
1	साकुल	रामगढ़	21	351	2035	1.08
2	पतरातु	रामगढ़	22	86	2/1380	0.7
3	सयाल	रामगढ़	23	86	160	0.44
				86	171	0.53
				86	212	0.04
				86	123	0.05
					Total=	2.84

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रीट संख्या– 202/95 दिनांक 12.12.96 को पारित आदेश के आलोक में किसी भी सरकारी अभिलेख में कोई भी भूमि वन, जंगल, जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज हो तो उसे वन भूमि ही माना जाएगा। वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की कार्य अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत बिना अनुमति प्राप्त किए रेलवे लाईन साईडिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव में सन्निहित भूमि गैर मजरूआ जंगल झाड़ दर्ज भूमि पर गैर वानिकी कार्य में दोषी पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

24/3/22

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

24/3/22